को रक्त कैंसर के इलाज में उपयोगी पाया गया है और उक्त वृक्ष की अंधा-धुन्ध कटाई की जा रही है तथा उनका निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रजाति के वृक्षों की रक्षा एवं विकास के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार ने इन वृक्षों के विकास एवं रक्षा के लिए कोई योजना तैयार की है जो "टैक्साल" नामक रसायन का स्रोत है और क्या इसके निर्यात को प्रतिबंधित करने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) टैक्सस बाल्लिचियना जिससे "टैक्साल" नामक रसायन निकाला जाता है, को उन पादपों पादप-भागों और उनसे उत्पन्न वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है वर्तमान निर्यात नीति के तहत जिनके निर्यात की मनाही है। यह प्रजाति अंतर्राष्ट्रीय वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजाति व्यापार कंवेशन (साइटस) के परिशिष्ट-2 में भी शामिल है और इस प्रजाति के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस कंवेशन के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है। भारत सरकार ने देश के सभी टैक्सस उत्पादक राज्यों को अनुदेश दिए हैं कि वे इस प्रजाति के प्रभावी संरक्षण के लिए उपाय करें और इसके संग्रहण और निर्यात पर रोक लगाएं। अरुणाचल जैसे कतिपय राज्यों ने पहले ही सतत उपयोग हेतु पादप उगाने के परीक्षण संचालित किए हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् देहरादून तथा केन्द्रीय औषधि तथा सुगंधित पादप संस्थान लखनऊ से भी इस प्रजाति की नर्सरी स्थापित करने और पैदावार तकनीकों का अध्ययन शुरू करने के लिए अनुरोध किया गया है।

ताजमहल पर जम रही फफूंदी और धूल

4527. श्री सत्य प्रकाश मालवीय :
श्री अनन्तराम जायसवाल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वप्रसिद्ध ताजमहल पर जम रही फफूंद और प्रदूषित धूल की मोटी तह के कारण धीरे-धीरे उसका ह्रास होता जा रहा है; यदि हां, तो ताजमहल की यह स्थिति कब से है ;

(ख) क्या सरकार ने ताज के ह्रास के बारे में कभी पता लगाया है; यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने ताज पर पड़ने वाले प्रदूषण के संभावित प्रभावों के बारे में कोई रिपोर्ट तैयार की है ; यदि हां, तो उसमें दिए गए निष्कर्ष और सिफारिशें क्या-क्या हैं ;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने ताजमहल की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कोई आदेश जारी किए थे ; यदि हां, तो कब और उन आदेशों का ब्यौरा क्या है तथा उन आदेशों का किस हद तक पालन किया गया है ; और

(ङ) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ताजमहल के सुरक्षार्थ 10 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे ताजमहल की किस हद तक रक्षा होगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने रिपोर्ट दी है कि फफूंद और धूल जमाव के कारण ताजमहल का ह्रास नहीं हो रहा है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ताजमहल के पास धूल जमाव की दर और निलंबित धूलकणों की निगरानी कर रहा है।

मुख्यतया प्राकृतिक धूलभरी परिस्थितियों के कारण निलंबित धूलकणों की सान्द्रता अधिक पाई गई है। ताजमहल की सतहों पर जमी धूल को समय-समय पर साफ किया जाता है लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि यह स्मारक चार शताब्दी पुराना है, संगमरमर की प्राकृतिक काल प्रभावन की प्रक्रिया भी है।

(ग) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत "एअर पालूशन स्टडीज टु रिडिफाइन ताज ट्रेपेजियम कोआर्डिनेट्स" नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिशों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

1. आगरा मथुरा क्षेत्र में अबाध बिजली की आपूर्ति की जानी चाहिए।

2. उद्योगों द्वारा कोयले के स्थान पर यथासंभव प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाना चाहिए और घरेलू प्रयोजनों के लिए एल० पी० जी० का प्रयोग किया जाना चाहिए।

3. फाउंड्रियों को वर्तमान एकल ब्लास्ट कुपोला के बजाय विभक्त ब्लास्ट टाइप कुपोला का प्रयोग करना चाहिए।

4. मथुरा रिफाइनरी में प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाए।

5. हरित पट्टी विकास परियोजनाएं और पौधरोपण स्कीमें आरम्भ की जाएं।

(घ) उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समय-समय पर निदेश जारी किए हैं। इस बारे में दो महत्वपूर्ण आदेश ये हैं :—

1. उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मई, 1993 में आदेश दिया था कि वह ताज ट्रेपेजियम के अन्दर चल रही 511 यूनिटों में प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति बताएं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन इकाइयों की अनुपालन की स्थिति की पुनरीक्षा की और तदनुसार उन्हें वर्गीकृत किया और उन 212 उद्योगों की सूची दी जिन्होंने उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए कोई उपाय नहीं किए थे। उच्चतम न्यायालय ने इन यूनिटों को बन्द करने के आदेश दिए।

2. अक्तूबर, 1994 में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निदेश दिया था कि वह लगातार तीन दिन तक राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचारपत्रों तथा प्रादेशिक भाषा के समाचार पत्रों में यह बताते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी करे कि उच्चतम न्यायालय फाइड्रियों, पिट भट्टियों और रबड़ सोल विनिर्माण यूनिटों तथा वायु प्रदूषण फैलाने वाले अन्य उद्योगों जिनमें रिफ्रेक्टरी ईंट विनिर्माण तथा चूना प्रसंस्करण यूनिटें शामिल हैं, को पक्षकारों को सुनने के बाद आगरा से ताज ट्रेपेजियम के बाहर चयन किए जाने वाले उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर कार्यवाही कर रहा है। सार्वजनिक नोटिस के अलावा, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड द्वारा सभी उद्योगों को अलग-अलग नोटिस भी जारी किए जाते थे। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया गया है।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ताजमहल को वायु प्रदूषण के प्रभावों से बचाने के लिए एक दस सूत्री पैकेज कार्यक्रम चलाया है। पैकेज कार्यक्रम के घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

—आगरा मथुरा ट्रेपेजियम में सभी घरों के लिए एल० पी० जी० गैस उपलब्ध कराना।

—ट्रेपेजियम में सीसारहित/अल्प सीसा वाला पेट्रोल उपलब्ध कराया जाता है।

—उद्योगों के लिए एल० पी० जी० का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन।

—परिवहन के लिए कम सल्फर वाला डीजल उपलब्ध कराना।

—मथुरा रिफाइनरी द्वारा पर्यावरणीय प्रबंध को बढ़ावा देना ।

—उद्योगों के लिए प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराना ।

—वाहनों के लिए संपीडित प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराना ।

—मथुरा रिफाइनरी के लिए स्वच्छ ईंधन ।

—मथुरा रिफाइनरी के लिए हाइड्रोक्रेकिंग योगिकी की स्थापना ।

—एशिया विकास बैंक के परामर्श पर्यावरणीय प्रबंध के लिए वैकल्पिक तियों का पता लगाना ।

यद्यपि, मंत्रालय यह बताने की स्थिति में नहीं है कि उपरोक्त उपायों से ताजमहल की कितनी सुरक्षा होगी फिर भी यह माना जा सकता है कि इन उपायों के फलस्वरूप बेहतर और स्वच्छ पर्यावरण से ताज महल को होने वाले संभावित खतरे अवश्य ही कम हो जाएंगे ।

गुजरात को जलमल निकास योजनाओं को शामिल किया जाना

4528. **श्री गोपाल सिंह जो० सोलंकी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास गुजरात की जल-मल निकास प्रणाली संबंधी कोई योजनाएं आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु लंबित पड़ी है ;

(ख) क्या सरकार को 31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार कोई प्रतिअभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) प्रत्येक योजना पर कितना धन व्यय होने की संभावना है और सरकार द्वारा इन योजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गुजरात राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत साबरमती नदी के अहमदाबाद में अभिनिर्धारित किए गए प्रदूषित क्षेत्रों के प्रदूषण निवारण का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 8वीं, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रहेगी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत गुजरात में साबरमती नदी के अहमदाबाद क्षेत्र में प्रदूषण निवारण कार्य की अनुमानित लागत लगभग 99 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

शहरों में प्रदूषण संबंधी सर्वेक्षण

4529. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में जबलपुर शहर में प्रदूषण के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है और इसे सर्वाधिक प्रदूषण वाले शहरों की श्रेणी में रखा है ;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब कराया गया था और इस सर्वेक्षण के अन्य निष्कर्ष क्या थे ;

(ग) देश में अन्य कौन-कौन से शहरों में ऐसा सर्वेक्षण कराया गया था और उनके क्या निष्कर्ष निकले ;

(घ) वायु प्रदूषण में मौजूद निलम्बित धूलकण, नाइट्रोजन के आक्साइड और सल्फर डाइआक्साइड के आधार पर प्रदूषण तथा उसके अनुपात का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार सर्वेक्षण किए गए प्रदूषित शहरों को प्रदूषण मुक्त करने संबंधी किसी योजना पर विचार करने का